



क्रमांक: एफ4 (22)आकाशि/नि.सं./1957/ 720

दिनांक:- 07/12/2021

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत निम्न महाविद्यालय को सत्र 2021-22 से स्नातक स्तर पर नवीन संकाय/विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	नवीन विषय संकाय
श्री अग्रवाल शिक्षा समिति, अग्रसेन कटला, महाराजा अग्रसेन मार्ग, सांगानेरी गेट, आगरा रोड, जयपुर।	अग्रवाल पी.जी. महाविद्यालय, अग्रसेन कटला, महाराजा अग्रसेन मार्ग, सांगानेरी गेट, आगरा रोड, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	स्नातक स्तर पर-B.B.A.

1. संस्था प्रत्येक सत्र में निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर ऑनलाईन प्रपत्र प्रस्तुत करेगी।
2. संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
3. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
4. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
6. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
7. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
8. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
9. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
10. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
11. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2021-22 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
12. यदि संस्था की भूमि शैक्षणिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित नहीं है तो संस्था को स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि में भू-रूपान्तरण आदेश कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा यह स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
13. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेब पोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहृत कर लिया जायेगा।

अयुक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सचिव, मा10 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव आयुक्त आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, जयपुर।
5. कूल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर



क्रमांक: एफ4 (270)आकाशि/नि.सं./1957/715

दिनांक:- 06/12/2021

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति बिन्दु 33 के अन्तर्गत निम्न महाविद्यालय को सत्र 2021-22 से स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर विषय/संकाय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त सहित श्री अग्रवाल शिक्षा समिति, अग्रसेन कटला, महाराजा अग्रसेन मार्ग, सांगानेरी गेट, आगरा रोड़, जयपुर द्वारा संचालित अग्रवाल सांध्य महाविद्यालय, अग्रसेन कटला, महाराजा अग्रसेन मार्ग, सांगानेरी गेट, आगरा रोड़, जयपुर को सत्र 2021-22 से उक्त समिति द्वारा संचालित अग्रवाल पी.जी. महाविद्यालय, अग्रसेन कटला, महाराजा अग्रसेन मार्ग, सांगानेरी गेट, आगरा रोड़, जयपुर में संविलयन(मर्जर) कर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है-

अग्रवाल पी.जी. महाविद्यालय, अग्रसेन कटला, महाराजा अग्रसेन मार्ग, सांगानेरी गेट, आगरा रोड़, जयपुर में संचालित संकाय व विषय	अग्रवाल सांध्य महाविद्यालय, अग्रसेन कटला, महाराजा अग्रसेन मार्ग, सांगानेरी गेट, आगरा रोड़, जयपुर में संचालित संकाय व विषय	अग्रवाल पी.जी. महाविद्यालय, अग्रसेन कटला, महाराजा अग्रसेन मार्ग, सांगानेरी गेट, आगरा रोड़, जयपुर में संचालित संकाय व विषय
स्नातक स्तर- 1. बी.ए.- हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल। 2. बी.एस.सी.- वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिक विज्ञान, 3. बी.सी.ए.- (BCA) 4. बी.कॉम-एबीएसटी, इएएफएम, व्या. प्रशासन	स्नातक स्तर- 1. बी.ए.- हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, लोक प्रशासन। 2. बी.एस.सी.- वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिक विज्ञान। 3. बी.कॉम-एबीएसटी, इएएफएम, व्या. प्रशासन	स्नातक स्तर- 1. बी.ए.- हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, लोक प्रशासन। 2. बी.एस.सी.- वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिक विज्ञान। 3. बी.सी.ए.- (BCA) 4. बी.कॉम-एबीएसटी, इएएफएम, व्या. प्रशासन
स्नातकोत्तर स्तर- 1. एम.ए.-अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, हिन्दी, इतिहास। 2. एम.एससी.- वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिक विज्ञान। 3. एम.कॉम-एबीएसटी, इएएफएम, व्या. प्रशासन	स्नातकोत्तर स्तर- 1. एम.ए.-भूगोल, लोक प्रशासन।	स्नातकोत्तर स्तर- 1. एम.ए.-अर्थशास्त्र, हिन्दी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, लोक प्रशासन। 2. एम.एससी.- वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिक विज्ञान। 3. एम.कॉम-एबीएसटी, इएएफएम, व्या. प्रशासन

- संस्था प्रत्येक सत्र में निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर ऑनलाईन प्रपत्र प्रस्तुत करेगी।
- संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
- आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
- संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
- संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
- संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राध्याप्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2021-22 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- यदि संस्था की भूमि शैक्षणिक प्रयोजनार्थ रूपांतरित नहीं है तो संस्था को स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि में भू-रूपांतरण आदेश कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा यह स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेब पोर्टल www.aishc.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।
- संविलयन के कारण होने वाले सभी प्रकार के विधिक प्रकरणों हेतु समिति पूर्णतः जिम्मेदार है। उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

असुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, जयपुर।
- कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
- सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (नि.सं.)

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर